न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 29/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00035)

1. रामगोपाल पुत्र स्व. रेवड़मल आयु 70 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम डांगरवाड़ा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र रेवड़मल उम्र 65 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम डांगरवाड़ा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी कन्हैयालाल पुत्री स्व. रेवड़मल जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासी 370. नवीनगरी कालाली गांब बडोदरा गुजरात।
2. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री कान्ता प्रसाद शर्मा एडवोकेट, अपीलान्ट्स की ओर से**
2. **श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 01.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण स्व. रेवडमल पुत्र हीरालाल के पुत्र है, अपीलार्थीगण के अलावा तीन पुत्रीयॉ स्व. रेवडमल के हुई जिनमें नाम क्रमशः नाथीदेवी मिश्रीदेवी एवं प्रेमदेवी है। उन्होने आगे कथन किया है कि चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण खुलने के बाद दो बहिने नाथीदेवी एवं मिश्रीदेवी ने हकत्याग लिखकर उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी में दर्ज अपने नाम को हटा लिया और अपीलार्थीगण का जमाबन्दी में हिस्सा 4/5 प्रत्येक का तथा 1/5 हिस्सा प्रत्यर्थी का दर्ज कर लिया गया। उक्त खाता संख्या 207 की भूमि मे ही 1/5 हिस्सा प्रत्यर्थी का चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज है, उक्त खाते की भूमि अपीलार्थीगण के पिता श्री रेवडमल की पैतृक भूमि थी जो उन्हे अपने दादा पड दादाओं से प्राप्त हुई थी जिसमें जन्मना अधिकार केवल अपीलार्थीगण को ही था पुत्रियॉ कोपार्सनर नही होने के कारण उक्त भूमि एवं अन्य जमीनों में जो पैतृक थी में कोई अधिकार पुत्रियों का नही था, अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 19.08.1997 को हो गयी उनकी मृत्यु होते ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता के सम्पूर्ण हक अपीलार्थीगण में दिनांक 19.08.1987 से ही डिवोल्व निहित हो गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि बाकी खातों के नामान्तरकरण पिताजी की मृत्यु के तत्काल बाद अपीलार्थीगण के नाम खुल चुका था किन्तु इस खाते में 19 बीघा जमीन के सम्बन्ध में कुछ विवाद राज्य सरकार से होने के कारण नामान्तरकरण नही खुला था और नामान्तरकरण

P.T.O.

2013 में खुला तथा सन् 2005 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 में संशोधन हो जाने के कारण एवं धारा 6 की प्रोपर व्याख्या के अभाव में उप तहसीलदार आंधी ने बहनों के नाम भी नामान्तरकरण खोल दिया किन्तु दो बहिनों ने अपनी ओर से रजिस्टर्ड हकत्याग कर दिया इसलिये जमाबन्दी में उनका नाम हट चुका है इसलिये उन्हे इस अपील में पक्षकार नही बनाया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश एवं अन्य बनाम फूलवती व अन्य के प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट विधिक व्यवस्था दे दी है कि उक्त संशोधन का लाभ जीवित पुत्री को तभी मिल सकता है जब दिनांक 20.12.2004 या संशोधन प्रभावशील होने के दिन तक उसका पिता जीवित हो, सर्वोच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था के अनुसार प्रकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं विधि अमान्य है एवं प्रारम्भ से ही शून्य है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2019 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 1160 वाके ग्राम डॉगरवाड़ा पर उप तहसीलदार आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भाई–बहन है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिस आराजी पर मृतक खातेदार रेवड़मल के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान का जन्म से हक हकूक अधिकार निहित हो जाता है तथा वादग्रस्त आराजी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रेवड़मल का देहान्त हो जाने के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1160 उनके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम से भरकर एवं जॉच पश्चात् उप तहसीलदार आंधी द्वारा दिनांक 13.02.2013 को स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही होने से ही अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2019 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील में यह तथ्य स्वीकार करता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उनकी बहन है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो उनके पिता रेवड़मल को दादा पड़दादाओं से विरासत में मिली है तथा वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रेवडमल पुत्र हीरालाल की मृत्यु होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1160 दिनांक 13.02.2013 को उप तहसीलदार आंधी जिला जयपुर द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। उपरोक्त

तथ्यों के मददेनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।